FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0330 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/12/2025 18:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 11/12/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:26 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/12/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/12/2025 18:04:37 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** BHATIA BHAWAN KE SAMNE, RAJAPARK JAIPUR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SANJEEV JANGID
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** SANWARMAL JANGID
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOMTI APARTMENT, PRATAP NAGAR JAIPUR, PRATAP NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOMTI APARTMENT, PRATAP NAGAR JAIPUR, PRATAP NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHRAVAN KUMAR MEENA AND OTHERS		पिता:JAGDISH PRASAD MEENA	1. SHANTINAGAR,SIROHI,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 10.12.2025 को परिवादी श्री संजीव जांगीड निवासी गोमती अपार्टमेंट, प्रतापनगर जयपुर ने एक लिखित रिपोर्ट इस आषय की पेष की कि "मैसर्स श्री बालाजी बिल्डर्स को राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही में मैस में खाना बनाने व खिलाने का टेण्डर 03 नवम्बर 2024 को 01 साल और कार्य संतुष्टी होने पर बढाया जायेगा की शर्त पर मिला था। जिसमें मुझे 30 हजार रूपये प्रतिमाह किराया देना था मैस में खाना खाने वाले बच्चे मुझे सीधे भुगतान करते थे। किराये की एवज में श्री श्रवण कुमार मीणा कॉलेज प्रिंसीपल ने मुझसे शुरू में स्वयं के फोन पे नं0 पर पेसे डलवाये तथा बाद में उसने मोबाईल नम्बर तथा मोबाईल नम्बर पर किराये के पैसे डलवाये। दिनांक 20.09.2025 को श्री श्रवण मीणा ने मुझे मैस का किराया जमा करवाने का नोटिस जारी किया तो मैंने श्री श्रवण जी को मैस का किराया उनके बताये मोबाईल नम्बरों पर पहले ही डाल देने की बात कही तो श्री श्रवण ने मुझे कहा कि उन पैसों को तो तू भूल जा। तब उनके बताये कॉलेज के बैंक खाते में मैंने दिनांक 09.10.2025 को 50 हजार रूपये जमा करवाये मेरा टेण्डर नवम्बर 2025 तक का होने तथा नया टेण्डर जारी होने के कारण मैं ही बच्चों को खाना दे रहा हूं और अब मैंस खिलाई के पैसे बच्चों से सीधे ही कॉलेज में जमा हो रहे थे। तो मैंने मैंस खिलाई के बिल भुगतान के लिये पेश किये तो श्री श्रवण मीणा जी ने मुझसे बिल भुगतान की एवज में 1.50 लाख रूपये मांगे तब मैंने उनको बिल होने पर पैसे देने की रिक्वेसट की तो उन्होंने मेरे 4 लाख रूपये का बिल भुगतान कर दिया तब बिल भुगतान होने पर उनके कहने पर मोबाईल पर मैंने 55 हजार रूपये एवं 3 हजार रूपये फोन पे कर दिये अब मेरे 03 लाख का बिल भुगतान की एवज में श्री श्रवण मुझसे 50 हजार रूपये मांग रहा है इसके साथ ही मेरे टेण्डर को रिन्यू करने के लिये 20 लाख रूपये मांग रहा है। मैं श्री श्रवण मीणा व अन्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार करवावा चाहता हूं। मेरी श्री श्रवण व अन्य से कोई उधार की लेन देन एवं रंजिश नहीं है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। तत्पष्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया, जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर श्री मनीष सिंह् कानि0 486 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा उक्त कानि0 से कार्यालय से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई।तत्पश्चात् परिवादी एवं श्री मनीष सिंह् कानि0 486 को मामले की गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया जाकर मामले का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से नवम्बर माह के तीन लाख रूपये भुगतान की गई राशि की एवज में 50,000/- रूपये की मांग करना, माह दिसम्बर 2025 की राशि का भुगतान करने की एवज में 1,50,000/- रूपये की मांग कर प्रतिमाह रिश्वत देने हेतु कहना, रिश्वत नहीं देने पर अनुबंध से हटाने हेतु कहना पाया गया। जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिष्वत राषि की व्यवस्था कर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई। अग्रिम कार्यवाही हेतु सवतंत्र गवाहान की तलबी हेतु विशेष वाहक के जरिये पत्र प्रेषित कर श्री विकास शर्मा, वरिष्ठ लेखाकार, कार्यालय महाप्रबंधक (वित) डाक लेखा विभाग, झालाना डूंगरी, जयपुर एवं श्री राज कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय महाप्रबंधक (वित) डाक लेखा विभाग, झालाना डूंगरी, जयपुर को पाबंद करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि संदिग्ध अधिकारी ने बताया है कि वह कल दिनांक 11.12.2025 को सिरोही नहीं जा रहा है इसलिये संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर प्रातः आपके कार्यालय में उपस्थित हो जायेगा। जिस पर पर परिवादी को आईन्दा दिनांक 11.12.2025 को अव्वल वक्त संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने की हिदायत की गई।दिनांक 11.12.2025 को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के उपस्थित आने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर परिवादी श्री संजीव जांगीड से परिचय करवाकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये।इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष

परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने 500-500 रूपये के 99 तथा 100-100 रूपये के 05 नोट कुल 50,000/- रूपये निकाल कर प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। श्रीमती मन्जू सिंह, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के समस्त नोटों पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।तत्पष्चात् परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बरों से परस्पर हुई वार्ता से संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को रिष्वत राषि लेकर राजमेस पर बुलाने पर की कहने पर उपरोक्त मौतबिरान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर परिवादी श्री संजीव जांगीड के साथ उसकी गाडी में श्री रघुवीरशरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, श्री मनीष सिंह कानि0 486 को बैठाकर बाद हिदायत पिंक स्क्वायर, राजापार्क जयपुर के लिये रवाना किया गया। परिवादी की गाडी के पीछे-पीछे श्री सुभाष हैडकानि0 35, श्री धर्म सिंह कानि0 249 मय स्वतंत्र गवाहान श्री विकास शर्मा तथा श्री राज कुमार मीणा को सरकारी वाहन मय चालक श्री विनोद के बाद हिदायत रवाना किया गया। श्री हिमांशु शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं श्री योगेश कुमार कानि0 202 को श्री हिमांशु शर्मा की निजी कार आरजे 45 सीएच 1190 में परिवादी के वाहन के पीछे पीछे निगरानी रखकर बाद हिदायत रवाना किया गया । श्री अमित हैड कानि0 139, श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 365, श्री महेन्द्र कुमार न0 372, श्रीमती निधि महिला कानि0 86 मय सरकारी वाहन मिनी बस मय चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप कम्प्यूटर प्रिन्टर के वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पिंक स्क्वायर, राजापार्क जयपुर पहुंचने की हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी वाहन मय चालक के परिवादी के वाहन के पीछे-पीछे पिंक स्क्वायर, राजापार्क जयपुर के लिये रवाना हुआ।तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पिंक स्क्वायर मॉल, राजापार्क के सामने पहुंचा, जहां पर परिवादी तथा मुख्यालय से रवानाशुदा जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान व सरकारी तथा निजी वाहनों के उपस्थित मिला। जिस पर मामले में गोपनीयता बनाये रखने हेतु सरकारी तथा निजी वाहनों को पिंक स्क्वायर के सामने की रोड पर सडक के किनारे खडा करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी के बताये अनुसार दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संजीव जांगिड के मोबाईल न से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल न0 पर जरिये व्हाट्स एप्प कॉल वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को इंतजार करने के लिये कहा गया। जिस पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर संदिग्ध अधिकारी से सत्यापन के क्रम में रिश्वत राशि आदान-प्रदान करने हेतु आवश्यक हिदायत मुनासिब कर राजमेस के मुख्य द्वार पर रवाना किया गया। उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा हमराहियान जाब्ते को अपनी-अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी के इर्द-गिर्द रहने की हिदायत की गई। तत्पष्चात् परिवादी को कार से राजमेस कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने सडक के किनारे पर जाकर संदिग्ध अधिकारी के आने के इंतजार में खडा हो गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान भी अपनी-अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी के पीछे-पीछे रहकर राजमैस कार्यालय के द्वार के आस-पास पहुंचकर परिवादी के इर्द-गिर्द रहकर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मूकीम हुए।समय 03.10 पीएम पर परिवादी श्री संजीव जांगीड ने पैदल राजमैस कार्यालय के द्वार से अन्दर प्रवेश कर एक व्यक्ति से मिला, जो अपनी गाडी नं0 25 बीएच 2559 एन में बैठकर राजमैस के द्वार से बाहर निकलने लगा। परिवादी भी उक्त गाडी के पीछे पीछे अपनी गाडी से रवाना हुआ, परिवादी ने जरिये दूरभाष बताया कि गाडी नं0 25 बीएच 2559 एन को संदिग्ध अधिकारी ने मुझे अपनी गाडी के पीछे-पीछे पंचवटी सर्कल पर आने के लिये कहा है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हमराहियान जाब्ते को सरकारी व निजी वाहनों से परिवादी की गाडी के पीछे-पीछे रहने तथा अपनी उपस्थिति का छुपाव कर परिवादी पर निगरानी रखने की हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी परिवादी पर निगरानी रखते हुये उसकी गाडी से कुछ दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। तत्पश्चात् संदिग्ध अधिकारी की गाडी भाटीया भवन से पहले सर्कल पर जाकर रूकी तथा परिवादी ने अपनी गाडी संदिग्ध अधिकारी की गाडी से कुछ दूरी पर आगे भाटीया भवन के सामने रोक दी। जहां पर संदिग्ध अधिकारी अपनी गाडी से उतरकर पास की दूकान पर खडा हो गया, जहां पर संदिग्ध अधिकारी के पास परिवादी के आने पर संदिग्ध अधिकारी परिवादी के साथ जाकर परिवादी की गाडी के आगे की सीट पर बैठ गया तथा परिवादी भी अपनी गाडी की ड्राईवर सीट पर बैठकर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने लग गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराहियान जाब्ते तथा गवाहान को ईशारा कर परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के आस-पास रहकर निगरानी करने की हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी परिवादी के आस-पास रहकर पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार में मूकीम हुआ।तत्पष्चात समय 03०:26 पीएम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संजीव जागीड ने राजापार्क स्थित भाटीया भवन के सामने श्रीराम मार्केट की ओर जाने वाले रास्ते के पास में खडी स्वयं की कार आरजे 07 सीडी 4803 के इंडिगेटर चालू कर पूर्व निर्धारित ईषारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाकर खडे हुये गवाहान एवं हमराहियान जाब्ते को परिवादी की गाडी के पास

पहुंचने का ईशारा किया। जिस पर परिवादी की गाडी के पास में अपनी उपस्थिति को छुपाते हुये खडे श्री सुभाष मील हैडकानि0 35 एवं श्री मनीष सिंह कानि0 486 द्वारा परिवादी की गाडी के पास तत्परता से पहुंचकर परिवादी तथा उनके साथ बैठे व्यक्ति को गाडी में ही बैठे रहने की हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के साथ तुरन्त परिवादी की गाडी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत करने पर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा,परिवादी ने अपनी गाडी की आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही संदिग्ध अधिकारी श्री श्रवण कुमार मीणा, सिरोही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है जिन्होंने अभी अभी मुझसे मेरी फर्म को भुगतान की गई माह नवम्बर 2025 के मैस संचालन के बिल की राशि 3,00,000/- रूपये की एवज में रिश्वत राशि लेकर अपने पहने हुये ब्लेजर के उपर के बांयी तरफ के अन्दर के जेब में रखी है। तत्पश्चात् परिवादी श्री संजीव जांगीड एवं उसके साथ गाडी में आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को गाडी से उतारकर संदिग्ध अधिकारी के दोनो हाथों को श्री मनीष सिंह कानि0 तथा श्री दीपेन्द्र सिंह कानि0 से पकडवाये जाकर संदिग्ध अधिकारी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताते हुये पूरा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्री श्रवण कुमार मीना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना उम्र- 46 साल, निवासी- फ्लेट न0 07, सी-122, बृजशान्ति अपार्टमेंट, नारायण टावर, बापू नगर, जयपुर हाल निवासी- शांतिनगर, सिरोही हाल- प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, राजकीय आयुर्विज्ञान, महाविधालय, सिरोही होना बताया। जिस पर संदिग्ध अधिकारी श्री श्रवण कुमार मीणा, प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, राजकीय आयुर्विज्ञान, महाविधालय, सिरोही को अभी अभी परिवादी श्री संजीव जांगीड से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर उधार दी गई राशि लेना बताया। जिस पर मौके पर खडे परिवादी ने बताया की श्री श्रवण कुमार मीणा झूठ बोल रहे है इन्होंने मुझसे मेरी फर्म से हुये पिछले एक साल के अनुबंधित समय के समय भी अपने परिचितों के मोबाईल नम्बरों पर पैसे डलवाकर रिश्वत राशि ली थी। अभी मेरा अनुबंधित समय पूर्ण होने के पश्चात नया अनुबंध नहीं होने के कारण मैस खिलाई/मैस संचालन कार्य मेरी ही फर्म द्वारा किया जा रहा है। नवम्बर 2025 से मेरी फर्म का अनुबंधित समय पूर्ण होने के बाद से बच्चों द्वारा मैस खिलाई की राशि कॉलेज के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है तथा कॉलेज द्वारा मुझे उपलब्ध करवाई जाती है। नवम्बर 2025 की मैस खिलाई के तौर पर बच्चों द्वारा कॉलेज में जमा करवाई राशि का भुगतान करवाने हेतु मेरी फर्म द्वारा 07 लाख रूपये का बिल कॉलेज में प्रस्तुत किया गया। जिसमें से 04 लाख रूपये की राशि का भुगतान मुझे चेक द्वारा किया। उक्त चैक पर श्री श्रवण कुमार मीणा द्वारा हस्ताक्षर कर राशि का भुगतान करवाने की एवज में मुझसे 90,000/- रूपये की रिश्वत प्राप्त की गई। मेरी फर्म को कॉलेज द्वारा बिलों की राशि का भुगतान चैक द्वारा किया जाता है तथा चैक श्री श्रवण कुमार मीणा, प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी होते है। दिनांक 10.12.2025 को सत्यापन के समय आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा द्वारा मेरे बिल की शेष 03 लाख रूपये की राशि के चैक पर हस्ताक्षर कर भुगतान करने की एवज में मुझसे 50,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसके क्रम में आज इन्होंने मुझसे 50 हजार रूपये की रिश्वत प्रास की है। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये संदिग्ध अधिकारी श्री श्रवण कुमार मीणा को पास में श्रीराम मार्केट में खाली जगह मे ले जाकर ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर साफ पानी की एक बोतल मंगवाई जाकर साफ कांच के दो गिलासों में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्रवण कुमार मीणा के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गधमेला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पश्चात् परिवादी के बताये अनुसार स्वतंत्र गवाह श्री विकास शर्मा से आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा के पहने हुये ब्लेजर के बायीं साईड के अन्दर के जेब से 500-500 तथा 100-100 रूपये के नोटों की एक गड्डी बरामद हुई, जिनको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो उक्त दोनों गड्डियों में 500-500 रूपये के कुल 99 नोट तथा 100-100 रूपये के कुल 05 नोट, कुल 50,000/- रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटां के नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये।तत्पश्चात आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा के पहने हुये ब्लेजर के बांयी तरफ की अन्दर की जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 50,000/-रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा के पहनने के लिये दूसरे कोट की व्यवस्था कर आरोपी के पहने हुये ब्लेजर को उतरवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा की उतरवायी गई ब्लेजर की बांयी तरफ की अन्दर की जेब को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के

तैयार घोल में डूबोकर धोवन लिया गयो तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी की ब्लेजर की बायींतरफ की अन्दर की जेब को सुखाकर ब्लेजर पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर ब्लेजर को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितां के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी में एक गाडी की चाबी मिली, जिसके बारे में पूछने पर आरोपी ने परिवादी की गाडी से कुछ दूरी पहले खडी अपनी कार महिन्द्रा एक्सयूवी 700 की चाबी होना बताया। आरोपी ने उक्त वाहन अपनी पत्नी श्रीमती अल्का मीणा के नाम पर रजिस्टर्ड होकर स्वयं द्वारा उपयोग में लेना बताया। जिस पर स्वतंत्र गवाहान के साथ आरोपी के वाहन नम्बर 25 बीएच 2559 एन के पास जाकर आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा की उपस्थिति में तलाशी ली गई तो गाडी में कोई संदिग्ध वस्तु/सामग्री/नगद राशि नहीं पाई गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसको सुरक्षित ट्रैप बॉक्स में रखा गया।चूंकि मौके पर लोगों की आमद रफत अत्यधिक होकर भीड-भाड ज्यादा होने से अग्रिम कार्यवाही मौके पर सम्भव नहीं होने के कारण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। जिस् उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पर पहुंचकर करने के निर्देष दिये गये। जिस पर उच्चाधिकारियों के निर्देषानुसार अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पर पहुंचकर करने हेतु प्रकरण में लिये गये धोवन सेम्पलों, जब्तशुदा रिश्वत राशि, जब्तषुदा आर्टिकल्स एवं विभागीय डीजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ट्रेप बॉक्स में रखकर ट्रैप बॉक्स को सरकारी वाहन में रखवाया गया। आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा को हमराहियान जाब्ते के साथ सरकारी वाहन में बैठाकर बाद हिदायत ब्यूरो मुख्यालय हेतु रवाना किया गया। आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा के वाहन सं0 25 बीएच 2559 एन की चाबी कानि0 श्री मनीष सिंह नं0 486 को सुपुर्द कर वाहन को सुरक्षित ब्यूरो कार्यालय लेकर जाने की हिदायत मुनासिब कर स्वतंत्र गवाह श्री राज कुमार मीणा के साथ रवाना किया गया । परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया।तत्पश्चात समय 04◦:45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी वाहन के मौके से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। जहां पर मौके से रवानाषुदा हमराहियान जाब्ता मय आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा के उपस्थित मिले। आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा के वाहन सं0 25 बीएच 2559 एन को कार्यालय परिसर में सुरक्षित खडा करवाया गया। ट्रैप बॉक्स को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया।तत्पश्चात् आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा को परिवादी श्री संजीव जांगीड की फर्म के बिलो के सम्बंध में पूछने पर बताया कि श्री संजीव जांगीड की फर्म के नाम हमारे कॉलेज से कोई टेण्डर जारी नहीं किया गया है। हमारे कॉलेज के डॉक्टररर्स की टीम द्वारा एक अनुबंध पत्र के जरिये इनकी फर्म को एक वर्ष के लिये मैस संचालन का कार्य दे रखा था। जो अनुबंध अक्टुम्बर 2025 में पूर्ण हो गया। उसके बाद किसी और फर्म से अनुबंध नहीं होने से कॉलेज के मैस संचालन का कार्य इनकी श्री बालाजी बिल्डर्स द्वारा ही लगातार किया जा रहा है। जिन डाक्टर्स की टीम द्वारा इनकी फर्म से अनुबंध किया गया, उस टीम में मैं भी था। अभी इनकी फर्म का कोई बिल भुगतान के लिये मेरे पास नहीं आया है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा सही नहीं बोल रहे है। मेरी फर्म का मैस संचालन का अनुबंध 03 नवम्बर 2025 मे ंपूर्ण हो गया था। अनुबंध के दौरान बच्चों से मैस खिलाई की राशि फर्म को मिलती थी परन्तु अनुबंध पूर्ण होने के उपरान्त बच्चों द्वारा मैस खिलाई की राशि कॉलेज के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है तथा कॉलेज द्वारा फर्म को भुगतान किया जाता है। नवम्बर 2025 में बच्चों द्वारा कॉलेज के बैंक खाते में मैस खिलाई के तौर पर 7,00,000/- रूपये से अधिक राशि जमा करवाई जा चुकी है जिसका भुगतान कॉलेज के माध्यम से फर्म को होना है। उक्त राशि का भुगतान कॉलेज द्वारा फर्म को चेक के माध्यम से किया जाता है तथा चैक प्राचार्य श्री श्रवण कुमार मीणा के हस्ताक्षर से जारी होता है। इसी क्रम में आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा द्वारा मेरी फर्म को पूर्व में किये गये 4,00,000/- रूपये की राशि के भुगतान के एवज में रिश्वत की राशि प्राप्त की गई तथा शेष 3,00,000/- रूपये की राशि के भुगतान के एवज में अभी मेरे से 50,000/- रूपये की रिश्वत की राशि प्राप्त की है।तत्पश्चात् आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा को परिवादी से पूर्व में मोबाईल नम्बर तथा स्वयं के मोबाइल नम्बर पर ऑन लाईन प्राप्त की गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा ने बताया कि मेरे को इन मोबाईल नम्बरों की कोई जानकारी नहीं है। जिस पर आरोपी को स्वयं के मोबाईल नम्बर पर परिवादी से जरिये ऑन लाईन ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा ने बताया कि मैंने जनवरी में इनसे उधार रूपये लिये थे जो मैंने नगद इन्हें लोटा दिये थे। मैंने कब लौटाये मुझे याद नहीं है। जिस पर मोके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि इन्होंने मुझसे कोई राशि उधार नहीं ली है इन्होंने मुझसे बतौर रिश्वत राशि अपने मोबाईल फोन पे पर ट्रांसफर करवाई थी। इन्होने श्री विजय के मोबाईल नम्बर तथा (जो पूजा कुमारी के नाम से प्रदेर्शित हो रहे है) पर भी मुझसे बतौर रिश्वत ली गई राशि ऑन लाईन ट्रांसफर करवाई है। तत्पश्चात् परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी श्री श्रवण कुमार द्वारा उपरोक्त मोबाईल फोनों पर ऑन लाईन प्राप्त की गई रिश्वत राशि से सम्बंधित ट्रांजेक्शनों के स्क्रीन शॉट का विभागीय लेपटॉप की सहायता से प्रिंटआउट निकलवाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा द्वारा आज दिनांक 11.12.2025 को रिश्वत राशि लेने हेतु परिवादी को राजमैस, पिंक स्क्वायर के सामने

बुलाया जाना तथा बाद में आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा द्वारा परिवादी को अपनी गाडी (रजिस्ट्रेशन नम्बर 25 बीएच 2559 एन) के पीछे-पीछे बुलाकर भाटिया भवन, राजापार्क के सामने आकर अपनी उक्त गाडी को रोककर सडक के किनारे खडी करना तथा आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा का परिवादी की गाडी में आगे की सीट पर बैठकर रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा ने पूछने पर बताया कि वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर/ट्यूटर/लेब टेक्निशियन आदि पदों पर संविदाकर्मियों के दस्तावेज सत्यापन में ड्यूटी होने के कारण पैरा मेडिकल इन्सटीट्यूट पर आना बताया।उपरोक्त कार्यवाही की विभागीय पैनासोनिक कैमरे से श्री महेन्द्र कुमार कानि0 372 से प्रावधानानुसार विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। विभागीय पैनासोनिक कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड को गवाहान के समक्ष विभागीय लेपटॉप में चलाकर कार्यवाही की विडियों रिकॉर्डिंग संरक्षित होना सुनिश्चित कर कार्यालय से दो खाली मेमोरी कार्ड (सेन डिस्क कम्पनी, 16 जीबी) की वयवस्था कर विभागीय लेपटॉप के माध्यम विभागीय पैनासोनिक कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड से बारी-बारी वीडियो रिकॉर्डिंग उक्त दोनों खाली मेमोरी कार्ड में संरक्षित की जाकर दोनों मेमोरी कार्डों को पृथक-पृथक प्लास्टिक के कबरों में सुरक्षित रखकर पृथक-पृथक माचिस की डिब्बियों में रखकर पृथक-पृथक सफेद कपडे की थेलीयों में सीलमोहर कर मार्का क्रमशः टक्. 1 तथा टक्.2 (अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया) अंकित किया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। विभागीय पैनासोनिक कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपडे की थेली में सीलमोहर कर मार्का टक् अंकित किया जाकर जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।अब तक कार्यवाही से आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, उम्र- 46 वर्ष, निवासी- फ्लैट नम्बर-07, सी-122, बृज शान्ति अपार्टमेंट, नारायण टावर, बापूनगर जयपुर हाल निवासी-शान्ति नगर सिरोही हाल-प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री संजीव जांगीड से उसकी फर्म मैसर्स श्री बालाजी बिल्डर्स द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही में किये गये मैस संचालन के कार्य/मैस खिलाई के नवम्बर माह के बिल की शेष राशि तीन लाख रूपये के भुगतान की एवज में दिनांक 10.12.2025 को 50,000/- रूपये की मांग करना, माह दिसम्बर 2025 के बिल भुगतान करने की एवज में 1,50,000/- रूपये की मांग कर प्रतिमाह रिश्वत देने हेतु कहना, रिश्वत नहीं देने पर अनुबंध से हटाने हेतु कहना तथा उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 11.12.2025 को श्री श्रवण कुमार मीणा, प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही द्वारा परिवादी से नवम्बर माह के तीन लाख रूपये भुगतान किये गये बिल की एवज में 50,000/- रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा हाल-प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा द्वारा परिवादी से अपने मोबाईल फोन से कई बार सम्पर्क कर रिश्वत के सम्बंध में वार्ता किया जाना पाया गया है जो प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से पृथक से जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया।इसके पष्चात् दिनांक 12.12.2025 को परिवादी तथा दोनों गवाहान के कार्यालय मे ंउपस्थित आने पर कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को विभागीय लेपटॉप में जोडकर दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 10.12.2025 रिष्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता तथा रश्वित मांग सत्यापन के क्रम में परिवादी तथा आरोपी के मोबाईल फोन पर जरियें व्हाट्स एप्प पर हुई वार्ता तथा रिष्वत मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 11.12.2025 को परिवादी तथा आरोपी के मध्य व्हाट्स कॉल पर हुई वार्ता तथा दिनांक 11.12.2025 को रिष्वत आदान-प्रदान के समय परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता का फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात कार्यालय से चार खाली डीवीआर की व्यवस्था की जाकर उन्हें कम्प्यूटर के जरिये खाली होना सुनिश्चित किया गया। दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं सत्यापन के क्रम में परिवादी तथा आरोपी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता तथा आदान-प्रदान के समय परिवादी व आरोपी के बीच हुई वार्ताओं की विभागीय कम्प्यूटर की सहायता से चार डीवीडी तैयार की जाकर मार्का अंकित कर सीडियों को पृथक-पृथक कपडें की थेलियों में डालकर शील्डमोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। गिरफताषुदा आरोपी से पूछताछ कर पूछताछ नोट शामिल पत्रावली किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्षा एवं हालात मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, उम्र- 46 वर्ष, निवासी- फ्लैट नम्बर-07, सी-122, बृज शान्ति अपार्टमेंट, नारायण टावर, बापूनगर जयपुर हाल निवासी-शान्ति नगर सिरोही हाल-प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री संजीव जांगीड से उसकी फर्म मैसर्स श्री बालाजी बिल्डर्स द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही में किये गये मैस संचालन के कार्य/मैस खिलाई के नवम्बर माह के बिल की शेष राशि तीन लाख रूपये के भुगतान की एवज में दिनांक 10.12.2025 को 50,000/- रूपये की मांग करना, माह दिसम्बर 2025 के बिल भुगतान करने की एवज में 1,50,000/- रूपये की मांग कर

प्रतिमाह रिश्वत देने हेतु कहना, रिश्वत नहीं देने पर अनुबंध से हटाने हेतु कहना तथा उक्त मांग के अनुशरण मुं आज दिनांक 11.12.2025 को श्री श्रवण कुमार मीणा, प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही द्वारा परिवादी से नवम्बर माह के तीन लाख रूपये भुगतान किये गये बिल की एवज में 50,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से उक्त आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में संदिग्ध अधिकारी द्वारा पूर्व में परिवादी से श्री विजय, जो संविदाकर्मी के तौर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही पर कार्यरत है के मोबाईल नम्बर तथा उसकी पत्नी के मोबाईल नम्बरों पर ऑनलाईन रिश्वत की राशि डलवाकर प्राप्त किया जाना पाया गया है। इस कारण प्रकरण में कथित श्री विजय की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है जिसके सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान से ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।अतः आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, उम्र- 46 वर्ष, निवासी- फ्लैट नम्बर-07, सी-122, बृज शान्ति अपार्टमेंट, नारायण टावर, बापूनगर जयपुर हाल निवासी-शान्ति नगर सिरोही हाल-प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही एवं अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।(संदीप सारस्वत)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संदीप सारस्वत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री श्रवण कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, उम्र- 46 वर्ष, निवासी- फ्लैट नम्बर-07, सी-122, बृज शान्ति अपार्टमेंट, नारायण टावर, बापूनगर जयपुर हाल निवासी-शान्ति नगर सिरोही हाल-प्राचार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविधालय, सिरोही व अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-प्रथम जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 197 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस,- मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1867-70 दिनांक 13.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या- 01, जयपुर 2- चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष राजमेस, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । उप महानिरीक्षक पुलिस,-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/12/2025 16:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)